



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 2015/चैत्र 5, 1937

No. 174]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 2015/CHAITRA 5, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2015

सा.का.नि. 225(अ).— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 को और संशोधित करने का प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 329(अ), तारीख 15 मई, 2014 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित रूप में उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां तारीख 30 मई, 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2015 है।
- केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 96 के उपनियम (4) के खंड (ii) में, 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगा,—

(क) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) दूसरे परंतुक में "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु" शब्द रखा जाएगा ।

[फा. सं.आरटी-11028/03/2014-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्यांक सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन संख्यांक सा.का.नि.168(अ) तारीख 3 मार्च, 2015 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2015

G.S.R. 225(E).— Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 329(E), dated the 15th May, 2014, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 30th May, 2014;

And whereas, no objections and suggestions have been received from the public on the said draft rules by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2015.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 96, in sub-rule (4), in clause (ii), with effect from the 1st day of April, 2015,—

(a) the first proviso shall be omitted;

(b) in the second proviso, for the words "Provided further", the words "Provided that" shall be substituted.

[F. No. RT-11028/03/2014-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note — The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* number G.S.R. 168(E) dated the 3rd March, 2015.